

5414

12003



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

416329



विक्रय विलेख
 प्रतिफल की धनराशि - ₹ 6,47,338/-
 बाजार मूल्य - ₹ 1,31,040/-
 अदा किये गये जनरल स्टैम्प - ₹ 51,800/-

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - मोहनलालगंज
3. ग्राम - सीनई कजेहरा
4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या 22 रकबा 0.936

Handwritten signatures and stamps:
 P. G. ...
 P. G. ...
 P. G. ...
 P. G. ...



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

416330

हेक्टेअर का 1/2 भाग, अर्थात्
विक्रीत रकवा 0.468 हे० स्थित
ग्राम- सौनई कजेहरा, परगना
मोहनलालगंज, तहसील व जिला
लखनऊ।

- | | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 5. | मापन की ईकाई | - | हेक्टेअर |
| 6. | सम्पत्ति का क्षेत्रफल | - | 0.468 हेक्टेअर |
| 7. | सड़क की स्थिति | - | सुल्तानपुर रोड व अमराक्षीद पथ से
लगभग 200 मीटर से अधिक |
| 8. | सम्पत्ति का प्रकार | - | कृषि |
| 9. | पेड़ों की स्थिति | - | नहीं |


Four Grams



Four Grams



Four Grams



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 195867

-3-

10. बोरिंग/ कुआं अन्य - कुछ भी नहीं है।


चौहद्दी खसरा नं० 22

उत्तर : खसरा नं०-16
दक्षिण : खसरा नं०-24
पूरब : खसरा नं०-21
पश्चिम : खसरा नं०-23

प्रथम पक्ष की संख्या-4 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

विक्रेतागण का विवरण	:	केता का विवरण
1. दयाराम पुत्र हिरई, 2.	:	वृजलाल पुत्र सुधई निवासी ग्राम

Handwritten signatures and stamps:
दयाराम
वृजलाल
सुधई
[Several circular and rectangular stamps and ink smudges are present below the table.]



- 4 -

साहबदीन 3. संतराम पुत्रगण नन्हें 4. श्रीमती पराना पत्नी नन्हें निवासीगण ग्राम सौनई कजेहरा, परगना मोहनलालगंज, तहसील व जिला लखनऊ	मिर्जापुर भितारी पो० नौगोंव, तहसील व जिला फतेहपुर।
व्यवसाय- कृषि	व्यवसाय- कृषि

यह विक्रय विलेख 1. दयाराम पुत्र हिरई, 2. साहबदीन 3. संतराम पुत्रगण नन्हें 4. श्रीमती पराना पत्नी नन्हें निवासीगण ग्राम सौनई कजेहरा, परगना मोहनलालगंज, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेतागण

जिन्हें आगे विक्रेतागण

जिन्हें आगे विक्रेतागण

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

100100100100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 304107



- 5 -

कहा गया है एवं श्रीमती सुनील कुमारी शर्मा द्वारा निर्धारित नौगाँव, तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हे आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या 22 रकबा 0.936 हेक्टेअर का 1/2 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.468 हे0 स्थित ग्राम- सीनई कजेहरा, परगना मोहनसालगंज, तहसील व जिला लखनऊ के मालिक का मालिक, कमिल व काविज है तथा उपरोक्त सत्यापित षट्द्वार्षिक खतीनी क्रम संख्या 00254 के अनुसार विक्रेतागण का नाम बतौर वारिस दर्ज है।

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 304108



-6-

भूमि विक्रेतागण के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिया, गिरवी या

गिरो मरदाना
साहू नारायण
साहू नारायण
साहू नारायण
साहू नारायण

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 304109



- 7 -

अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेतागण ने उक्त भूमि पर कृषि या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेतागण व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू० 6,47,338/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को बतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान भय हर्जा व खर्चा,

दिनांक २०/११/२०१८

अरवि कुमार
अरवि कुमार
अरवि कुमार
अरवि कुमार

विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेतागण यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया निगरी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त छत्तरा नम्बर ग्राम सौनई कजेहरा जो कि सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु० 2,80,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.468 हेक्टेअर की मालियत 1,31,040/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु० 51,800/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं

राम
सिकंदर
परम
5-10-2007

चल रही है व कोई नलफूप, कुआँ भी नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे ।

1. विक्रेतागण दयाराम को रू० 3,23,668/- द्वारा चेक संख्या-413624 दिनांकित 16.03.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।
2. विक्रेतागण साहबदीन को रू० 1,07,890/- द्वारा चेक संख्या-413625 दिनांकित 16.03.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।
3. विक्रेतागण संतराम को रू० 1,07,890/- द्वारा चेक संख्या-413626 दिनांकित 16.03.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।
4. विक्रेतागण श्रीमती पराना को रू० 1,07,890/- द्वारा चेक संख्या-413627 दिनांकित 16.03.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

युक्त

दास

हजराम

श्रीमती पराना

युक्त


इस प्रकार विक्रेतागण को कुल विक्रय मूल्य 6,47,338/- (रुपया छः लाख सैतालिस हजार तीन सौ अड़तीस मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लखनऊ:

दिनांक 10.01.2007

गवाह :-

1. क्रेता की पहचान की
पंकज पाठक
S/o - हरि रंजन पाठक
जमिन्दार कामपत्रेकर
हरनगर



क्रेता

2. विक्रेता की पहचान की
वि. वि. 91 भा. 04/0
अशोक लाल 1977

टाईपकर्ता

(मोनु कुमार)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता
(संजय निगम)
एडवोकेट


ग्राम शिवडी कनेट्टा

परगना मोहल्लामुन्ना हकीम मोहल्लामुन्ना

मिठा - तुरवमु

खसरा नं. 22


रकबा 0.468 H



म. त. म.



वि. र. ग.



के. र.


रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पता:-


5741214

वि. मोहन लाल शर्मा ल-2423

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता:-

साहनसि

वि. 2423

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-




विक्रेता / क्रेता का हस्ताक्षर

साहनसि

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पता:- सुरेश
वि 34 रोड

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता /क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता:- श्रीमती यशदा
A 34 रोड

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-



विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / विक्रेता का नाम व पता:-

वृजुला
A-14 श्रीपुर दिल्ली फोर्स

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता:-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

कार्य दिनांक 16/03/07
कार्य संख्या 287
पृष्ठ संख्या 130
कार्य संख्या 1289/07


श्रीगणेश कृष्ण
या निरन्तर मोहतापस्य

